न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 07 / 2020

भंवरसिंह व्यवस्थापक जी.एस.एस.कासोट, ग्राम पंचायत कासोट तहसील डीग जिला भरतपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 28.08.2019 प्रकरण सं0 61 / 2018 उनवानी सरकार बनाम व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति कासोट अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 25.11.2020**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 28.08.2019 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र संख्या 1094 / 2017 को निरस्त करते हुए जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है। पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कानून व रिकार्ड के विपरीत है। तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के जबाब पर कोई गौर नही किया गया है, जबकि अपीलान्ट ने अपने जबाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मौके पर मौजूद गेंहूँ अपीलान्ट को अक्टूबर माह के निर्धारित कोटे के तहत प्राप्त हुआ था, जिसमें से कुछ गेंहूँ निरीक्षण से पहले प्राप्त हुआ और कुछ निरीक्षण के बाद। समस्त गेंहूँ एक साथ नही मिलने के कारण इसका इन्द्राज रिकार्ड में नही हो सका था। रिकार्ड के अनुसार जितना गेंहूँ होना चाहिये था, उतना गेंहूँ मौके पर मौजूद था। इसी प्रकार 26 किग्रा चीनी का इन्द्राज रिकार्ड में नही हो पाया था। इसके अतिरिक्त 60 लीटर कैरोसीन उपभोक्ताओं का था, जो दुकान पर रखा हुआ था। अपीलान्ट ने इन समस्त तथ्यों का अंकन अपने जबाब में किया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी जाहिर किया है कि तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट की कोई साक्ष्य नही ली गई। अपीलान्ट दो तारीख पेशियों पर साक्ष्य लेकर उपस्थित हुआ, लेकिन पीठासीन अधिकारी के उपस्थित नही होने के कारण साक्ष्य नही हो सकी, किन्तु तहत न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य बन्द किये दिनांक 28.08.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो कानूनी

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.10 14:34:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि दिनांक 25.10.2018 को मौके पर जाकर अपीलान्ट डीलर की दुकान की जांच की गई। दौराने जांच पोस मशीन में गेंहूँ का स्टॉक 34.04 क्विण्टल व भौतिक सत्यापन पर 82 क्विण्टल गेंहूँ मिला, जो 47.96 क्विण्टल अधिक मिला। इस बावत डीलर द्वारा कोई चालान व रसीद प्रस्तुत नहीं की गई। इसी प्रकार कैरोसिन का स्टॉक निल था, किन्तु भौतिक सत्यापन पर 60 लीटर कैरोसिन मिला। चीनी का भी वक्त जांच पोस मशीन में स्टॉक निल और भौतिक सत्यापन करने पर 26 कि0ग्रा0 चीनी पाई गई। अधिक स्टॉक की मात्रा बावत डीलर द्वारा किसी भी प्रकार का बिल व चालान उपलब्ध नहीं कराया गया। अधिक राशन सामग्री के सम्बन्ध में डीलर द्वारा कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता करके राशन सामग्री बचाई गई है, जो दण्डनीय अपराध है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वक्त जांच पोस मशीन में गेंहूँ का स्टॉक 34.04 क्विण्टल व भौतिक सत्यापन पर 82 क्विण्टल गेंहूँ पाया गया, जो 47.96 क्विण्टल अधिक था। गेंहूँ की उक्त अधिक मात्रा के सम्बन्ध में अपीलान्ट डीलर का कथन है कि मौके पर मौजूद गेंहूँ माह अक्टूबर के निर्धारित कोटे के तहत प्राप्त हुआ था, जिसमें से कुछ गेंहूँ निरीक्षण से पूर्व तथा कुछ गेंहूँ निरीक्षण के बाद प्राप्त हुआ था। एक साथ गेंहूँ न मिलने के कारण इसका इन्द्राज रिकार्ड में नही हो सका। डीलर ने गेंहूँ का दो बार में प्राप्त होना बताया गया है, किन्तु इसके समर्थन में डीलर द्वारा जिस थोक विक्रेता से गेंहूँ प्राप्त किया है, उस संस्था का कोई चालान व रसीद अपने जबाब के साथ पेश नही की गई है। इसी प्रकार 60 लीटर कैरोसीन व 26 कि.ग्रा. चीनी का स्टॉक, जो अधिक मात्रा में पाया गया है, के सम्बन्ध में भी संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया है, कि उक्त सामग्री कहां से प्राप्त हुई है। स्पष्ट है कि वक्त जांच डीलर के पास अधिक मात्रा में पाये गये गेंहूँ, कैरोसीन एवं चीनी उपभोक्ताओं को कम वितरण कर बचाई गई प्रतीत होती है। इस प्रकार अपीलान्ट डीलर का वितरण में अनियमितताऐं किया जाना पाया गया है। अपीलान्ट का उक्त कृत्य यह दर्शाता है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के वितरण में नियंत्रित वस्तुओं का जानबूझ कर दुरुपयोग किया गया है जिसके लिए वह दोषी है। इस प्रकार अपीलान्ट डीलर किसी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नहीं रहता है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.10 14:34:25 IST
Reason: SelfAttested